

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 849] No. 849] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/चैत्र 3, 1939 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2017

का.आ. 950(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का लोक हित में प्रयोग करते हुए, लाइनर पोत परिवहन उद्योग के जलयान हिस्सेदारी करार को तीन माह की अवधि जो 21 मार्च, 2017 से लागू होगी के लिए किसी भी भारतीय पत्तन से किसी राष्ट्रीयता के सभी राष्ट्रों के प्रचालित पोतों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों से छूट प्रदान करती है, परंतु ऐसे करारों के अंतर्गत ऐसे सिम्मिलत व्यवहार नहीं होंगे जिसमें कीमत नियत करना, क्षमता या विक्रय को सीमित करना और बाजारों या ग्राहकों का आबंटन अंतर्विलत है।

उक्त तीन माह की अविध के दौरान, भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय, पोत परिवहन के महानिदेशक, ऐसे करारों को मानीटर करेंगे और भारत में ऐसे पोतों के प्रचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों, विद्यमान जलयान हिस्सेदारी करारों या किए जाने वाले जलयान हिस्सेदारी करारों की प्रतियों को, उक्त अविध के दौरान प्रयोजनीयता के साथ अन्य सुसंगत दस्तावेजों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसे करारों पर हस्ताक्षर किए जाने के दस दिन के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, महानिदेशक, पोत परिवहन को फाइल करेंगे।

[फा. सं. 5/20/2011-सीएस]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

1680 GI/2017 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2017

S.O. 950(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts the Vessels Sharing Agreements of Liner Shipping Industry from the provisions of section 3 of the said Act, for a period of three months with effect from the 21st March, 2017, in respect of carriers of all nationalities operating ships of any nationality from any Indian port provided such agreements do not include concerted practices involving fixing of prices, limitation of capacity or sales and the allocation of markets or customers.

During the said period of three months, the Director General, Shipping, Ministry of Shipping, Government of India shall monitor such agreements and for which, the persons responsible for operations of such ships in India shall file copies of existing Vessels Sharing Agreements or Vessels Sharing Agreements to be entered into with applicability during the said period along with other relevant documents within thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or within ten days of signing of such agreements, whichever is later, with the Director General, Shipping.

[F. No.5/20/2011-CS]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.